



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052026-272784
CG-DL-E-22052026-272784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2454]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2026/वैशाख 28, 1948

No. 2454]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2026/VAISAKHA 28, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2546(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4772 (अ) तारीख 17.10.2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 21.10.2025, में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में करनपुर-मुरादाबाद-काशीपुर-रुद्रपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

करनपुर—मुरादाबाद—काशीपुर—रुद्रपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट						
अनुसूची						
राज्य — उत्तर प्रदेश						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे सं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5		
मुरादाबाद	मुरादाबाद	सैफपुरपल्ला	164	00	06	93
			162	00	08	14
			161	00	01	23
			20	00	11	91
			18	00	15	57
			14/A	00	20	86
			13	00	10	69
			11	00	02	98
			11/2	00	05	18
			1/1	00	00	70
			1/2	00	00	87
			कुल	00	85	06
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे सं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5		
मुरादाबाद	मुरादाबाद	घोसीपुरा	318/K	00	15	86
			318/KH			
			317	00	00	60
			316	00	00	60
			320	00	00	60
			313	00	00	70
			311	00	05	74
			306	00	07	40
			305	00	03	50
			245	00	01	17

करनपुर-मुरादाबाद-काशीपुर-रूद्रपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट						
अनुसूची						
राज्य – उत्तर प्रदेश						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे सं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5		
			136	00	00	40
मुरादाबाद	मुरादाबाद	घोसीपुरा	133	00	00	66
			138	00	00	60
			132	00	00	65
			131	00	00	65
			127	00	00	40
			123	00	00	40
			115	00	06	82
			114	00	09	13
			112	00	00	63
			103	00	00	55
			73	00	08	10
			98	00	11	04
			97	00	00	55
			74	00	00	55
			96	00	15	15
			75	00	01	26
			79	00	02	25
			80	00	00	36
			95	00	00	34
			94	00	00	47
			91	00	07	81
			89	00	00	40
			84	00	00	55
			87	00	14	80
			कुल	01	20	69
मुरादाबाद	मुरादाबाद	रूस्तमपुरबढमार	206	00	15	20

करनपुर-मुरादाबाद-काशीपुर-रुद्रपुर गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट						
अनुसूची						
राज्य – उत्तर प्रदेश						
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे सं०	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5		
			204	00	19	20
			152	00	20	80
			148	00	08	00
			149	00	08	00
			139	00	13	20
			135	00	08	00
			177	00	01	50
			175	00	06	00
			174	00	00	50
			172	00	12	40
			122	00	02	50
			121	00	00	40
			कुल	01	15	70
			कुल योग	03	21	45

[फ़ा. सं. एल-14014/06/2025-जीपी-II (ई-54157)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2546(E).— Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas **S.O. No. 4772 (E)** dated **17.10.2025** issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated **21.10.2025**, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through **Karanpur - Moradabad - Kashipur - Rudrapur Gas Pipeline Project** in the State of **Uttar Pradesh** by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

KARANPUR-MORADABAD-KASHIPUR-RUDRAPUR GAS PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE						
STATE: UTTAR PRADESH						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Moradabad	Moradabad	Saifpur Palla	164	00	06	93
			162	00	08	14
			161	00	01	23
			20	00	11	91
			18	00	15	57
			14/A	00	20	86
			13	00	10	69
			11	00	02	98

KARANPUR-MORADABAD-KASHIPUR-RUDRAPUR GAS PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE						
STATE: UTTAR PRADESH						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
			11/2	00	05	18
			1/1	00	00	70
			1/2	00	00	87
			Total	00	85	06
Moradabad	Moradabad	Ghosipura	318/K	00	15	86
			318/KH			
			317	00	00	60
			316	00	00	60
			320	00	00	60
			313	00	00	70
			311	00	05	74
			306	00	07	40
			305	00	03	50
			245	00	01	17
			136	00	00	40
Moradabad	Moradabad	Ghosipura	133	00	00	66
			138	00	00	60
			132	00	00	65
			131	00	00	65
			127	00	00	40
			123	00	00	40
			115	00	06	82
			114	00	09	13
			112	00	00	63
			103	00	00	55
			73	00	08	10
			98	00	11	04

KARANPUR-MORADABAD-KASHIPUR-RUDRAPUR GAS PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE						
STATE: UTTAR PRADESH						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
			97	00	00	55
			74	00	00	55
			96	00	15	15
			75	00	01	26
			79	00	02	25
			80	00	00	36
			95	00	00	34
			94	00	00	47
			91	00	07	81
			89	00	00	40
			84	00	00	55
			87	00	14	80
			Total	01	20	69
Moradabad	Moradabad	Rustampur Badhmar	206	00	15	20
			204	00	19	20
			152	00	20	80
			148	00	08	00
			149	00	08	00
			139	00	13	20
			135	00	08	00
			177	00	01	50
			175	00	06	00
			174	00	00	50
			172	00	12	40
			122	00	02	50

KARANPUR-MORADABAD-KASHIPUR-RUDRAPUR GAS PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE						
STATE: UTTAR PRADESH						
District	Tehsil	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
			121	00	00	40
			Total	01	15	70
			Subtotal	03	21	45

[F. No. L-14014/06/2025-GP-II (E-54157)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.